

Internal Complaint Committee

पीओएसएच अधिनियम, 2013 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम, 2015 एक आंतरिक समिति (आईसी) या आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के गठन का आदेश देते हैं। हर कॉलेज में लिखित में एक आदेश. समिति के गठन के पीछे मुख्य उद्देश्य कॉलेज के किसी भी सभ्य (शिक्षण, गैर-शिक्षण और छात्र) द्वारा प्रेरित किए गए भेदभावपूर्ण व्यवहार और यौन उत्पीड़न को संबोधित करना है, जिसके बारे में वह देखता है या जागरूक होता है। समिति जांच के बावजूद प्राधिकरण को अपराधी के खिलाफ सजा सहित आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने की सलाह भी देती है। समिति में निम्नलिखित सभ्य शामिल हैं

1.	Presiding officer	Dr. (Mrs.) Sonakshi Sharma Assistant Professor in charge	Chairperson (Mob.9927065370)
2	Two faculty members	Mr. Deepak Kumar Yadav Assistant Professor Dr. Ashok Kumar Gola Assistant Professor	Internal Member (Mob.9759820816) Internal Member (Mob.6398287016)
3.	One non-teaching employee	Mr. Nitin Tomar	Member office representative (Mob.9917426474)
4.	A member from NGO or a person familiar with sexual harassment issues	Mrs. Madhu Sharma Social worker / legal	Member of NGO (Mob.9761944776)
5.	Three Student nominees (if the matter involves students)	Dr. Smt Pallavi Singhal Ladies Representative (Cultural Council)- Dr. (Ms) Vinita Tyagi Assistant Professor Ladies Representative (Students Council)- Mr Navdeep Kumar General Secretary Student Council	Member (Mob.9897444882) Member (Mob.9412580465) Member (Mob.8859710997)

